फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रॉट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुम्बई – 400038		1. जीतू सिंह पुत्र सांवत सिंह, 274, राजपूतों का बास, मिठरिया नागौर राजस्थान 341503 2. प्रेम कंवर पत्नी जीतू सिंह, ग्राम मिठरिया, ग्राम पंचायत चान्दारूण, नागौर राजस्थान 341503

किस्म मुकदमा – सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या– 203 **सन् 2025**
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2025 / 246

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26/12/25	(see below)	

26/12/25

प्रार्थी **सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड** की ओर से अधिवक्ता रीना वर्मा ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा मुख्यतः यह कथन किया कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी/FINOVA CAPITAL PVT LTD ने अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसकी ऐवज में प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति को प्रार्थी/बैंक/कंपनी के हक में बंधक रखा था, किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत कर अप्रार्थीगण को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी उक्त बंधकशुदा संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। FINOVA CAPITAL PVT LTD और CFM ASSET RECONSTRUCTION PVT. LTD. के बीच में एग्रीमेन्ट टू असाईनमेन्ट दिनांक 31.12.2024 के आधार पर हमारे द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा प्रार्थी/ बैंक/कंपनी को दिलाये जाने के संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य आये है–

क्रस	ऋण संबंधित सूचना	विवरण
1.	मूल ऋणी व बंधनकर्ता	जीतू सिंह पुत्र सांवत सिंह
2.	सहऋणी	प्रेम कंवर पत्नी जीतू सिंह
3.	ऋण स्वीकृत दिनांक	20.03.2023
4.	ऋण स्वीकृत राशि	3.63.260/–
5.	एन.पी.ए. दिनांक	01.01.2024
6.	कुल बकाया राशि	5.37.436/– दिनांक 31.12.2024 तक
7.	नोटिस भिजवाने की दिनांक	20.03.2025

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर।

8.	नोटिस तामील की दिनांक	25.03.2025
9.	दो अखबार, हिन्दी एवं अंग्रेजी में साया किए हुए हैं या नहीं	हां
10.	बंधक रखी गई सम्पत्ति का विवरण	**पट्टा नंबर 40, गांव मिठड़िया, ग्राम पंचायत चान्दारूण, पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान 341503, क्षैत्रफल 61.96 वर्ग गज है। जिसके पडौस इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता व घर का निकाल है, दक्षिण में गोपालजी व विशालजी का बाड़ा है, पूर्व में गुमान सिंह का मकान है एवं पश्चिम में स्वयं की खाली जगह है,**

इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित है कि ऋणी व सहऋणी द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया गया है और उनके द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर ऋण खाता एनपीए घोषित कर दिया गया, इसके पश्चात नियमानुसार धारा 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस दिए जाने और उसकी तामील होने के बावजूद विहित समयावधि के अन्दर ऋणी व सहऋणी द्वारा शेष ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जो सम्पत्ति बंधक रखी गई है, उसका कब्जा प्रार्थी/बैंक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी **सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड** के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति **पट्टा नंबर 40, गांव मिठड़िया, ग्राम पंचायत चान्दारूण, पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान 341503, क्षैत्रफल 61.96 वर्ग गज है। जिसके पडौस इस प्रकार है – उत्तर में आम रास्ता व घर का निकाल है, दक्षिण में गोपालजी व विशालजी का बाड़ा है, पूर्व में गुमान सिंह का मकान है एवं पश्चिम में स्वयं की खाली जगह है,** का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने हेतु नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, नागौर को आदेशित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट नागौर
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर